[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART – II, SECTION 3, SUB-SECTION (i)]

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS
NOTIFICATION

New Delhi, dated the 23rd Sept 2011.

G.S.R. ______ (E). – In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 642 read with section 610B of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Central Government's) General Rules and Forms, 1956, namely: –

1. (1) These rules may be called the Companies (Central Government's) General Rules and Forms (Amendment) Rules 2011.

   (2) These rules shall come into force with effect from the 25th September, 2011.

2. In the Companies (Central Government's) General Rules and Forms, 1956, for Form 5, the following Form shall be substituted, namely:-

FORM NO. 5

[Pursuant to sections 95, 97 or 94A(2) or 81(4) of the Companies Act, 1956]

Notice of consolidation, division, etc. or increase in share capital or increase in number of members

Note - All fields marked in * are to be mandatorily filled.

1.(a) * Corporate identity number (CIN) of company [ ] Pre-fill

(b) Global location number (GLN) of company [ ]

2.(a) Name of the company [ ]

(b) Address of the registered office of the company [ ]

(c) *e-mail ID of the company [ ]

3. *Purpose of the form

◯ Increase in share capital independently by company ◯ Increase in number of members

◯ Increase in share capital with Central Government order ◯ Consolidation or division etc.

4. In accordance with section 97 of the Companies Act, 1956, that by ◯ Ordinary ◯ Special resolution at

the meeting of the members of the company held on [ ] (DD/MM/YYYY)

Service request number (SRN) of related Form 23 [ ]

(a) The authorised share capital of the company has been increased from

Existing	(in Rs.)	
Revised	(in Rs.)	
Difference (addition)	(in Rs.)	

(b) (i) The number of members in the company has been increased from

Existing	
Revised	
Difference (additional)	

(ii) Maximum number of members excluding past and present employee(s) [ ]

5.(a) In accordance with sub-section (3) of section 94(A) of the Companies Act, 1956, the authorised share capital of the company has been increased consequent upon an order dated [ ] (DD/MM/YYYY) of the Central Government under sub-section (4) of section 81 or sub-section (2) of section 94A of the Act upon an application made to it by (Enter the name of the financial institution)

[ ]

for conversion of ◯ debentures ◯ loans into shares

Existing authorised capital	(in Rs.)	
Revised authorised capital	(in Rs.)	
Difference (addition)	(in Rs.)	

(b) A copy of the aforesaid order was received by the company from the Central Government on

[ ] (DD/MM/YYYY)

6. The additional capital (taking into consideration the addition above) is divided as follows

(a) Number of equity shares		Total amount of equity shares (in Rs.)	
(b) Number of preference shares		Total amount of preference shares (in Rs.)	
Total addition (in Rs.)			

7. The conditions (e.g. voting rights, dividend rights, winding-up rights, etc.) subject to which new shares have been issued, are as follows

8. Notice is hereby given that

In accordance with section 95 of the Companies Act, 1956, that the company has on [ ] (DD/MM/YYYY)

(a) ☐ Consolidated

(b) ☐ Converted

(c) ☐ Reconverted

(d) ☐ Subdivided

(e) ☐ Redeemed

(f) ☐ Cancelled

(g) ☐ Reclassified

9. Revised capital structure after taking into consideration the changes vide points 4, 5, 6 and 8 above

(a) Authorised capital of the company (in Rs.)

Break up of Authorised capital

Number of equity shares

Total amount of equity shares (in Rs.)

Nominal amount per equity share

Number of preference shares

Total amount of preference shares (in Rs.)

Nominal amount per preference share

Number of unclassified shares

Total amount of unclassified shares (inRs.)

(b) Issued capital of the company (in Rs.)

Break up of Issued capital

Number of equity shares

Total amount of equity shares (in Rs.) (in Rs.)

Nominal amount per equity share

Number of preference shares

Total amount of preference shares

Nominal amount per preference share

(c) Subscribed capital of the company (in Rs.)

Break up of Subscribed capital

Number of equity shares

Total amount of equity shares (in Rs.)

Nominal amount per equity share

Number of preference shares

Total amount of preference shares (in Rs.)

Nominal amount per preference share

(d) Paid up capital of the company (in Rs.)

Break up of Paid up capital

Number of equity shares | Total amount of equity shares (in Rs.)

Nominal amount per equity share

Number of preference shares | Total amount of preference shares (in Rs.)

Nominal amount per preference share

10. * Whether articles of association have been altered ◯ Yes ◯ No

11. Particulars of payment of stamp duty (Refer instruction kit for details before filling the particulars)

(a) State or Union territory in respect of which stamp duty is paid or to be paid [Pre-fill]

(b) *Whether stamp duty is to be paid electronically through MCA21 system ◯ Yes ◯ No ◯ Not applicable

Note: The Hon'ble High Court of Delhi at New Delhi has held in the matter of S E Investments Limited Vs Union of India and Others [W.P. (c) 2393/2010 and CM Appl.4794/2011] that there is no provision in the Delhi Stamp Act for payment of stamp duty on "increased authorised capital". Payment of stamp duty for increase of authorised capital being paid with filing of Form No.5 with respect to State of National Capital Territory of Delhi is made optional.

(i) Details of stamp duty to be paid

Amount of stamp duty to be paid (in Rs.)

(ii) Provide details of stamp duty already paid

Type of document/Particulars	**Form 5**
Total amount of stamps or stamp paper (in Rs.)	
Mode of payment of stamp duty	
Name of vendor or Treasury or Authority or any other Competent agency authorised to collect stamp duty or to sell stamp papers or to emboss the documents or to dispense stamp vouchers on behalf of the Government	
Serial number of embossing or stamps or stamp paper or treasury challan number	
Registration number of vendor	
Date of purchase of stamps or stamp paper or payment of stamp duty	(DD/MM/YYYY)
Place of purchase of stamps or stamp paper or payment of stamp duty	

12. In case maximum stamp duty payable has already been paid, provide details of form(s) filled earlier (SRN or receipt number, form number, date of filling, amount of stamp duty paid)

Attachments

List of attachments

1. Proof of receipt of Central Government order [Attach]
2. Altered memorandum of association [Attach]
3. Altered articles of association [Attach]
4. Optional attachment(s) - if any [Attach]

[Remove attachment]

Verification

To the best of my knowledge and belief, the information given in this form and its attachments is correct and complete.

I have been authorised by the Board of directors' resolution number* [ ] dated* [ ] (DD/MM/YYYY) to sign and submit this form.

I further declare that the company has paid correct stamp duty as per applicable Stamp Act.

To be digitally signed by

Managing director or director or manager or secretary of the company [ ]

*Designation [ ]

* Director identification number of the director or Managing Director; or Income-tax permanent account number(Income-tax PAN) of the manager; or Membership number, if applicable or income-tax PAN of the secretary (secretary of a company who is not a member of ICSI, may quote his/ her income-tax PAN) [ ]

Certificate

It is hereby certified that I have verified the above particulars (including attachment(s)) from the records of

[ ]

and found them to be true and correct. I further certify that all required attachment(s) have been completely attached to this form.

○ Chartered accountant (in whole-time practice) or ○ Cost accountant (in whole-time practice) or

○ Company secretary (in whole-time practice) [ ]

*Whether associate or fellow ○ Associate ○ Fellow

*Membership number or certificate of practice number [ ]

[Modify] [Check Form] [Prescrutiny] [Submit]

For office use only:

[Affix eStamp and filing details]

eForm Service request number (SRN) [ ] eForm filing date [ ] (DD/MM/YYYY)

This e-Form is hereby registered

Digital signature of the authorising officer [ ] [Confirm submission]

Date of signing [ ] (DD/MM/YYYY)

[F No 2/20/2011- CL V]

Renuka Kumar,
Joint Secretary

Note:- The principal notification was published vide number G.S.R. 432(E) dated the 18th January, 1986 and last amended vide G.S.R. 618 (E), dated the 11th August, 2011.

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख 23 सितंबर, 2011

सा.का.नि. .....(अ) केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 610ख के साथ पठित धारा 642 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी (केन्द्रीय सरकार) साधारण नियम और प्ररूप 1956 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (केन्द्रीय सरकार) साधारण नियम और प्ररूप (संशोधन) नियम, 2011 है ।
   (2) ये नियम 25 सितंबर, 2011 से प्रवृत्त होंगे ।

2. कंपनी (केन्द्रीय सरकार) साधारण नियम और प्ररूप, 1956 में, प्ररूप 5 के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात् :--

प्ररुप सं. 5 कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 95, धारा 97 या धारा 94क(2) या धारा 81(4) के अनुसरण में	संचयन, विभाजन आदि या शेयर पूंजी में वृद्धि या सदस्यों की संख्या में वृद्धि की सूचना

प्ररुप भाषा English हिन्दी

टिप्पण : *चिन्हित दिए गए सभी स्थानों को भरा जाना आवश्यक है।

1.(क)* कंपनी की निगमित पहचान संख्या (सीआईएन) पूर्व भरा
(ख) कंपनी की वैश्विक अवस्थिति संख्या (सीआईएन)

2.(क) कंपनी का नाम
(ख) कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता
(ग)* कंपनी का ई-मेल पहचान

3. *प्ररुप का प्रयोजन
कंपनी द्वारा स्वतंत्र रुप से शेयर पूंजी की बढ़ोतरी सदस्यों की संख्या में वृद्धि
केन्द्रीय सरकार के आदेश सहित शेयर पूंजी में बढ़ोतरी समेकित या भाग आदि

4. (दिन/मास/वर्ष) की हुई कंपनी के सदस्यों की बैठक में साधारण विशेष संकल्प
द्वारा, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 97 के अनुसरण में
प्ररुप 23 से संबंधित सेवा निवेदन संख्या

(क) कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी में निम्नानुसार वृद्धि की गई है,

विद्यमान	(रुपए में)
पुनरीक्षित	(रुपए में)
अंतर (अतिरिक्त)	(रुपए में)

(ख)(i)कंपनी के सदस्यों की संख्या में निम्नानुसार वृद्धि की गई हैं,
विद्यमान
पुनरीक्षित
अंतर (अतिरिक्त)

(ii)पूर्व और वर्तमान कर्मचारी (कर्मचारियों) को अपवर्जित करके सदस्यों की अधिकतम संख्या

5.(क) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 94(क) की उपधारा (3) के अनुसार कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी में,

द्वारा (वित्तीय संस्था का नाम प्रविष्ट करें) डिबेंचर ऋणों के शेयरों में संपरिवर्तन के लिए किए गए आवेदन पर अधिनियम की धारा 81 की उपधारा (4) या धारा 94क की उपधारा (2) के अधीन केन्द्रीय सरकार के तारीख (दिन/मास/वर्ष) के आदेश के परिणामस्वरुप वृद्धि की गई हैं।

विद्यमान प्राधिकृत पूंजी	(रुपए में)
पुनरीक्षित प्राधिकृत पूंजी	(रुपए में)
अंतर (अतिरिक्त)	(रुपए में)

(ख) पूर्वोक्त आदेश की एक प्रति (दिन/मास/वर्ष) को केन्द्रीय सरकार से कंपनी को प्राप्त हुई थी।

6. अतिरिक्त पूंजी को निम्नानुसार विभाजित किया गया है (उपर्युक्त परिवर्धन को ध्यान में रखकर)

(क) साधारण शेयरों की संख्या साधारण शेयरों की कुल रकम (रुपए में)

(ख) अधिमानी शेयरों की संख्या अधिमानी शेयरों की कुल रकम (रुपए में)

कुल परिवर्धन (रुपए में)

7. वे शर्तें (मताधिकार, लाभांश का अधिकार, समापन अधिकार, आदि) जिनके अधीन नए शेयर जारी किए गए हैं, निम्नानुसार हैं :-

8. यह सूचना दी जाती है कि

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 95 के अनुसार कंपनी ने (दिन/मास/वर्ष) को किया है। (दिन/मास/वर्ष)

(क) संचयी

(ख) संपरिवर्तित

(ग) पुर्नसंपरिवर्तित

(घ) उपविभाजित

(ङ) मोचित

(च रद्द

(छ) पुर्नवर्गीकृत

9. उपर्युक्त 4,5,6 और 8 द्वारा परिवर्तनों पर विचार करने के पश्चात् पुनरीक्षित पूंजी संरचना
(क) कंपनी की प्राधिकृत पूंजी (रु. में)

प्राधिकृत पूंजी का पृथक-पृथक विवरण

साधारण शेयरों की संख्या	साधारण शेयरों की कुल रकम (रु. में)
प्रति साधारण शेयर अभिहित रकम	
अधिमानी शेयरों की संख्या	अधिकारी शेयरों की कुल रकम (रु. में)
प्रति अधिमानी शेयरों की अभिहित रकम	
अवर्गीकृत शेयरों की संख्या	अवर्गीकृत शेयरों की कुल रकम (रु. में)

(ख) कंपनी की पुरोधत पूंजी (रु. में)

पुरोधत पूंजी का पृथक-पृथक विवरण

साधारण शेयरों की संख्या	साधारण शेयरों की कुल रकम (रु. में)
प्रति साधारण शेयर अभिहित रकम	
अधिमानी शेयरों की संख्या	अधिमानी शेयरों की कुल रकम (रु. में)
प्रति अधिमानी शेयर की अभिहित रकम	

(ग) कंपनी की अभिदत्त पूंजी (रु. में)

अभिदायी पूंजी का पृथक-पृथक विवरण

साधारण शेयरों की संख्या	साधारण शेयरों की कुल रकम (रु. में)
प्रति साधारण शेयर की अभिहित रकम	
अधिमानी शेयरों की संख्या	अधिमानी शेयरों की कुल रकम (रु. में)
प्रति अधिमानी शेयर की अभिहित रकम	

(घ) कंपनी की संदत्त पूंजी (रु. में)

संदत्त पूंजी का पृथक-पृथक विवरण

साधारण शेयरों की संख्या | साधारण शेयरों की कुल रकम (रु. में)

प्रति साधारण शेयर अभिहित रकम

अधिमानी शेयरों की संख्या | अधिमानी शेयरों की कुल रकम (रु. में)

प्रति साधारण शेयर की अभिहित रकम

10. *क्या अनुच्छेद संगम में परिवर्तन किया गया है   हां   नहीं

11. स्टाम्प ड्यूटी के संदाय (विशिष्टियां भरने से पहले ब्यौरा के लिए अनुदेश किट देखें)
(क) वह राज्य या संघराज्य जिस की बाबत स्टांप ड्यूटी संदत्त की गई है यहा संदत्त की जानी है   पहले से भरा

(ख) *क्या स्टांप शुल्क का संदाय एमसीए-21 प्रणाली द्वारा इलैक्ट्रॉनिक रुप में किया जाना है।   हां   नहीं   लागु नहीं होता

टिप्पण : एसई विनिधान लिमिटेड बनाम भारत संघ और अन्य (रिट याचिका सं0 (सी) 2393/2010 और सिविल प्रकीर्ण अपील सं0 479/2011) वाले मामले में नई दिल्ली स्थित माननीय उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि दिल्ली स्टांप अधिनियम में "बढ़ी हुई प्राधिकृत पूंजी" पर स्टांप शुल्क के संदाय के लिए कोई उपबंध नहीं है । प्राधिकृत पूंजी की बढ़ोतरी के लिए स्टांप शुल्क के संदाय को, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली राज्य के संबंध में प्ररूप 5 को फाइल करने के साथ संदत्त किया जाता है, वैकल्पिक बनाया जाता है ।

(i)संदत्त किए जाने वाले स्टांप शुल्क के ब्यौरे
संदत्त किए जाने वाले स्टांप शुल्क की रकम (रुपए में)

(ii)पहले से संदत्त स्टांप शुल्क के ब्यौरें

दस्तावेज का प्रकार/विशिष्टिया   प्ररुप 5

स्टांप या स्टांप पेपर की कुल रकम (रुपए में)

स्टांप ड्यूटी के संदाय का ढंग

सरकार की ओर से स्टांप ड्यूटी का संग्रहण या स्टांप पेपर के विक्रय या दस्तावेजों का समुद्रभृत करने या स्टांप वाउचरों का अभियोजन करने वाले विक्रेता या खजाने या प्राधिकरण या किसी अन्य सक्षम अभिकरण का नाम

समुद्रभृत, स्टांपों या स्टांप पेपर की क्रम संख्या या खजाना चालान संख्या

विक्रेता का रजिस्ट्रीकरण संख्या

स्टांप या स्टांप पेपर के क्रय या स्टांप शुल्क के संदाय की तारीख   (दिन/मास/वर्ष)

स्टांपों या स्टांप पेपर के विक्रय या स्टांप ड्यूटी के संदाय का स्थान

12. |अधिसंदेय स्टांप शुल्क पहले ही संदत्त किए जाने की दशा में, पूर्व में फाइल किए गए (एसआरएन या प्राप्ति संख्या, प्ररुप फाइल किए जाने की तारीख, संदत्त स्टांप शुल्क रकम) प्ररुप (प्ररुपों) के ब्यौरे दें।

संलग्नक

1. केन्द्रीय सरकार के आदेश की प्राप्ति का सबूत संलग्न संलग्नकों की सूची
2. परिवर्तित संगम ज्ञापन संलग्न
3. परिवर्तित संगम अनुच्छेद संलग्न
4. वैकल्पिक संलग्नक-यदि कोई हो/हों संलग्न

संलग्नकों हटाएं

सत्यापन

मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास से इस प्ररुप में और इसके संलग्नकों में दी गई जानकारी सही और पूर्ण है।
मुझे इस प्ररुप पर हस्ताक्षर करने और प्रस्तुत करने के लिए निदेशक बोर्ड के संकल्प संख्या *
तारीख (ता/मास/वर्ष) द्वारा प्राधिकृत किया गया है।
मैं यह और घोषणा करता हूं कि कंपनी ने स्टांप अधिनियम के अनुसार यथा लागू स्टांप शुल्क संदत्त कर दिया हैं।
निम्नलिखित के द्वारा अंकीय हस्ताक्षरित किए जाएं
कंपनी के प्रबंध निदेशक या निदेशक या प्रबंधक या सचिव

*पदनाम

*निदेशक या प्रबंध निदेशक का निदेशक पहचान संख्यांक; या प्रबंधक का आयकर स्थायी खाता संख्या (आय-कर पैन); या सचिव का सदस्यता संख्याक, यदि लागू हो या आयकर स्थायी खाता संलग्नक (किसी कंपनी का सचिव जो आईसीएसआई का सदस्य नहीं है, अपना आयकर स्थायी खाता संख्यांक उल्लेख कर सकेगा)

प्रमाणपत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने उपर्युक्त ब्यौरों जिसके अंतर्गत संलग्नक भी है के अभिलेखों से सत्यापित किया है

और उन्हें सही तथा ठीक पाया है, मैं यह और प्रमाणित करता हूं कि इस प्ररुप के साथ अपेक्षित संलग्नक (संलग्नकों) संलग्न हैं।

चार्टर्ड अकाउंटेंट (पूर्ण कालिक व्यवसायरत) या लागत लेखापाल(पूर्ण कालिक व्यवसायरत) या
कंपनी सचिव (पूर्ण कालिक व्यवसायरत)

*क्या सहयुक्त या अधिसदस्य है सहयुक्त अधिसदस्य

*सदस्यता संख्या या व्यवसाय प्रमाण-पत्र की संख्या

उपांतरित जांच पूर्वसंवीक्षा प्रस्तुत

केवल कार्यालय प्रयोग के लिए -

ई-प्ररुप सेवा अनुरोध संख्या ई-प्ररुप भरने की तारीख (दिन/मास/वर्ष)

इस ई-फार्म को एतद्द्वारा रजिस्ट्रीकृत किया जाता है।
प्राधिकारी आधिकारी के अंकीय हस्ताक्षर
हस्ताक्षर करने की तारीख (दिन/मास/वर्ष)

[फा.संख्यांक 2/20/2011-सीएल. v]

रेणुका कुमार
रेणुका कुमार
संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि.432(अ) तारीख 18 जनवरी, 1986 द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसमें सा.का.नि. 618(अ) तारीख 11 अगस्त, 2011 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया ।